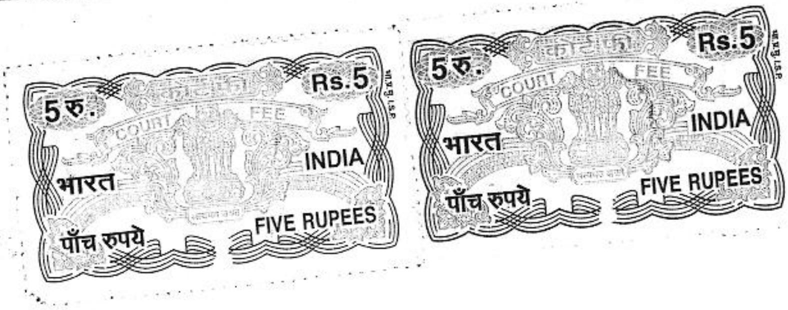

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

राजस्व पुनरीक्षण क्रमांक :- 4043-I/2015

विनोद कुमार सोनकर .... पुनरीक्षणकर्ता/ आवेदक

विरूद्ध

किरण बाई सोनकर .... उत्तरवादी/ अनावेदक

आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी. सहपठित धारा 43 म.प्र.भू.रा. संहिता 1959

आवेदक माननीय न्यायालय से निवेदन करता है कि :-

1. यह कि, आवेदक/ पुनरीक्षणकर्ता द्वारा उपरोक्त पुनरीक्षण याचिका जबलपुर खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत की थी।
2. यह कि, उपरोक्त पुनरीक्षण याचिका माननीय खण्ड पीठ के समक्ष दिनांक 06/11/2015 एवं 27/11/2015 को कार्यवाही हेतु नियत थी।
3. यह कि, उपरोक्त पुनरीक्षण याचिका में अधिवक्ता विशाल नामदेव अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण उपस्थित नहीं हो सके।
4. यह कि, अनुपस्थिति की व्यतिकरण के कारण उक्त पुननिरीक्षण याचिका अदम पैरवी में खारिज हो गई है।
5. यह कि, उक्त खारिजी का कारण अधिवक्ता की अनुपस्थिति में जो कि पक्षकार के हित के आलोक में सद्भाविक है।

प्रार्थना

अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि न्याय हित में उक्त पुनरीक्षण याचिका का पुर्नस्थापन कर अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा की जावे।

अधिवक्ता वास्ते पुनरीक्षणकर्ता

रेस्टो० 4043-II/15 (नवलख)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों आदि
1/12/15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधि. के तर्कों पर विचार किया। विचारोपरान्त यह पुनर्स्थापन आवेदन स्वीकार किया जाता है। मूल प्रकरण क्रि. 3691-II/15 पुनः सुनवाई हेतु नियत किया जाये। यह प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।	